पदोन्नति के आधार पर भरने के लिए निम्न अनुपात व्यवस्था की गई है :—

(1) स्नातकोतर अध्यापक जिनकी उस ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा हो—50 प्रतिशत ।

(2) स्कूलों के सहायक जिला निरीक्षक । सहायक सामाजिक शिक्षा अधिकारी जिनकी उस ग्रेड में 7 वर्ष की सेवा हो—10 प्रतिशत ।

(3) प्रशिक्षित स्नातकोतर अध्यापक जिनकी उस ग्रेड में 10 वर्ष की सेवा हो—40 प्रतिशत ।

संघलोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम 1958, के अधीन जब तक कि भर्ती नियमों में स्पष्ट रूप से अन्यथा व्यवस्था न की गई हो, श्रेणी II मे केन्द्रीय सेवा में नियुक्ति के लिए प्रवरण के सम्बन्ध में या केन्द्रीय सेवा श्रेणी II में शामिल पद के लिए किसी अधिकारी को जो श्रेणी II केन्द्रीय सेवा या श्रेणी III केन्द्रीय सेवा का पहले सेही सदस्य हो, उसके लिए आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा । इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली प्रशासन के अधीन. गवर्नमेंट उच्चतर माध्यमिक स्कूल के वाइस प्रिंसिपलों के पद आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। विभागीय पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले श्रेणी । तथा श्रेणी II के पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षण रिक्तियों में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसके अलावा पदोन्नति के लिए पात्रता के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों । अनुसूचित जन-जातियों के कोई व्यक्ति नहीं थे । इन परिस्थितियों में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों को पदोन्नति में प्रतिनिधित्व देने का प्रश्न नहीं उठता ।

Recruitment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

410. SHRI AMBESH : Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2328 on the 16th June, 1971 regarding recruitment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and state :

(a) whether the requisite information has since been collected ; and

(b) if so, whether it will be laid on the Table of House ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL (SHRI RAM NIWAS MIRDHA):(a) and (b). The requisite information has so far been received from 32 Ministries/Departments. A statement showing the information received so far is placed on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. L.T-1001/71]

Strictures against Chairman of British India Corporation, Kanpur

411. SHRI AMBESH : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether the Inquiry Commission has passed strictures against the Chairman of the British India Corporation, Kanpur : and

(b) if so, the main points of the strictures ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI GHANSHYAM OZA) : (a) and (b). The Investigating Authority on the affairs of British India Corporation Ltd. , Kanpur had stated in its Report that the role of the Chairman of the Board of Directors of the British India